गणपति प्लाज़ा के लॉकर से निकला 1 किलो सोना और करोड़ों का कैश

जयपुर, 17 अक्टूबर। भाजपा से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों के बाद गणपति प्लाजा के लॉकरों की जांच के दौरान इन्कम टैक्स विभाग की टीम को मंगलवार को तीन लॉकरों से सवा करोड़ रुपए की नकदी और 1 किलो सोना मिला है।

सूत्रों के अनुसार, इन्कम टैक्स विभाग के अधिकारियों को कार्तिक कूलवाल के लॉकर से 1 किलो सोना मिला है। वहीं, इदरीस हसन के लॉकर से एक करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है, जिसे गिनवाने के लिए विभाग की टीम को मशीनें मंगवानी पड़ीं। कार्तिक कूलवाल और इदरीश हसन कौन हैं, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है।

इससे पहले सोमवार को जयपुर के प्रसिद्ध रावत मिष्ठान भंडार के ठिकानों पर आयकर विभाग ने सर्वे किया था। गणपति प्लाज़ा के निजी लॉकर से 30 लाख रु. के अलावा बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी के कागज़ात और अन्य दस्तावेज मिलने की भी जानकारी सामने आई है। आयकर विभाग की टीम ने सोमवार को लॉकर खोलने के बाद रावत मिष्ठान भंडार से जुड़े लोगों से कई घंटे तक पूछताछ की थी।

हाई कोर्ट के लिए आसान नहीं होगा गलता के महंत और सरकार के बीच उलझते मतभेद को सुलझाना

-यादवेन्द्र शर्मा-

- **राज्य सरकार का मानना है कि, महंत केवल मंदिर ''कॉम्प्लैक्स'' के ''मैनेजर'' हैं, परन्तु ''गलता कॉम्प्लैक्स'', जिसमें मंदिर के आस-पास बने सभी भवन आदि और गलता गेट भी शामिल है, सरकार की संपत्ति है।**
- **वही महंत का कहना है कि, गलता कॉम्पलैक्स की सभी सम्पत्तियां, जिनमें मंदिर तथा अन्य भवन शामिल हैं, सभी ट्रस्ट की संपत्ति हैं, जिसके वह स्वयं कार्यकारी ट्रस्टी हैं।**

जयपुर,17 अक्टूबर। जयपुर राजस्थान हाई कोर्ट में गलता पीठ के महंत की नियुक्ति के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। बहस पूर्ण ना होने के कारण न्यायाधीश समीर जैन की अदालत बुधवार को दोपहर 3.30 बजे बाद इस मामले पर सुनवाई जारी रखेगी।

इस मामले में गलता पीठ के तत्कालीन महंत अवधेशाचार्य की ओर से याचिका दायर करी गई है। याचिका में कहा गया है कि गलता पीठ के पूर्व महंत रामोदाचार्य ने उन्हें 19 फरवरी 2005 को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया था। और 15 फरवरी 2006 को श्री रामोदाचार्य के मृत्यु उपरांत 19 मार्च 2006 को अवधेशाचार्य को पीठ का महंत बना दिया गया था। वर्तमान मामले में विवाद की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब महंत रामदास ने शिकायत दर्ज करवाई कि श्री रामोदाचार्य के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं था जिससे वह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सके। महंत रामदास के अनुसार गलता पीठाधीश के महंत की नियुक्ति केवल उपयुक्त उम्मीदवारो के बीच चयन से हो सकती है।

गलता पीठाधीश के महंत की गद्दी पर विवाद होने से गलता ठिकाना ट्रस्ट एवं महंत की निजी संपत्ति के ट्रस्ट का विषय भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुआ। हालांकि 4 मई 2007 को हाईकोर्ट ने श्री अवधेशाचार्य को कार्यकारी ट्रस्टी के पद पर बने रहने के पक्ष में 'स्टे ऑडर' पारित किये थे। अदालत ने देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त को आदेश दिए थे कि वह 'पब्लिक नोटिस' जारी कर नए कार्यकारी ट्रस्टी को खोजने व नियुक्त करने की कार्यवाही शुरू करे। वर्ष 2007 मे ही सुप्रीम कोर्ट ने नए कार्यकारी ट्रस्टी को नियुक्त करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में हाईकोर्ट ने गलता पीठ से जुड़े कई मामलो में याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज किया था की उक्त मामले देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त के समक्ष लंबित थे। जिनमें से कई महत्वपूर्ण सवाल यह थे कि गलता पीठ ठिकाना की संपत्ति 'पब्लिक प्रॉपर्टी'' है या किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति है? गलता पीठ के महंत की नियुक्ति कैसे की जाएगी? क्या गलता पीठ के महंत का पद उन्हीं के कानूनी उत्तराधिकारी को मिलेगा? हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त इस संबंध में आदेश नहीं पारित कर देते, तब तक अवधेशाचार्य के पक्ष में ही 'स्टे' आदेश कार्यरत रहेगा और वे ही महंत बने रहेंगे।

इन प्रश्नों के अलावा, गलता पीठ ट्रस्ट के संचालन के संबंध में बनाए गए नियम-कायदों के गठन तथा अनुमोदन के संबंध में भी सवाल निचली अदालतों के समक्ष लंबित थे। इन सभी मामलों में देवस्थान विभाग के सचिव द्वारा पारित आदेशों और उनकी अपील को मद्देनज़र रखते हुए याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष यह 'रिट' याचिका दायर की है। उनके अनुसार गलता पीठ ट्रस्ट की सभी संपत्तियों की देखभाल सही तरीके से नहीं की जा रही है और इसमें अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत है।

गत सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि गलता पीठ की संपत्ति राज्य सरकार की संपत्ति है और गलता पीठ के महंत केवल गलता पीठ में बने मंदिर परिसर के प्रबंधक हैं। वही याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया की गलता पीठ एक ठिकाना है और उस ठिकाने के अंतर्गत बने मंदिर तथा अन्य भवन-समूह सभी के सभी गलतापीठ ट्रस्ट की संपत्ति हैं ना कि राज्य सरकार की। उनका यह भी कहना है की इस ट्रस्ट के कार्यकारी ट्रस्टी स्वयं याचिकाकर्ता हैं। इस मामले पर कल सुनवाई जारी रहेगी।

महाराष्ट्र के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अगली सुनवाई दशहरे की छुट्टियों के बाद 30 अक्टूबर को रखी है।

कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता संबंधी याचिकाओं का निपटारा जल्दी करना है।

प्रधान-न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का निवेदन सुना कि वे दशहरे की छुट्टियों में व्यक्तिगत रूप से विधानसभाध्यक्ष से चर्चा कर एक ठोस कदम उठाएंगे। बैंच, जिसमें जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने 30 अक्टूबर की तिथि निर्धारित करते हुए कहा, ''हम समय सीमा से संतुष्ट नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि वे अध्यक्ष से व्यक्तिगत चर्चा कर ठोस कार्रवाई करेंगे।

भाजपा ने झूठ ..

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सब कांग्रेस ने बनाए थे। हम राष्ट्र निर्माता हैं और इसका श्रेय हमसे नहीं छीना जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कौन से साल में किस संस्थान की स्थापना हुई। सबसे ज्यादा संस्थान प. नेहरु के कार्यकाल में स्थापित हुए थे।

उन्होंने कहा, ''योजना आयोग 1950 में, पहला आई.आई.टी 1951 में नई दिल्ली में एम्स 1952 में, एस.ए.आई.एल. 1954 में, बी.ए.आर. सी. 1954 में, भिलाई स्टील प्लांट तथा भेल 1964 में स्थापित हुआ था।

वसुंधरा और गहलोत की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **भाजपा सूत्रों के अनुसार, वे लोग गहलोत सरकार को गिरा सकते थे, पर, उन्होंने ऐसा नहीं करने का निर्णय लिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि, वसुंधरा और सुदृढ़ हो जाएं।**

चाहते थे। एक सीनियर नेता ने बताया कि सरकार का हिस्सा बनने के लिए राजे अपने लोगों को भेज देतीं।

इस परिदृश्य में समझा जाता है कि भाजपा वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के लिए रात-दिन एक करती रही हैं। संभावना है कि उनके कई समर्थकों को टिकट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वह जोड़-तोड़ नहीं कर सकेगी। राजे यह कोशिश करती रही हैं कि गहलोत उनके कुछ समर्थकों को टिकट दें।

लेकिन, गहलोत को मात देने के लिए राहुल और कांग्रेस एक चौकस बाजी खेल रहे हैं। उनके कई विधायकों और समर्थकों का टिकट काट कर उन्हें पंगु बनाने का विचार है।

यदि वो अपने आदमियों को टिकट नहीं दिला सकते तो उन्हें कैसे दिलवाएंगे जो भाजपा से आए हैं।

भाजपा और कांग्रेस कभी-कभार ही एक दूसरे से सहमत होती हैं, लेकिन लगता है कि, इस समय दोनों पार्टियाँ वसुंधरा और गहलोत को बाहर करने पर सहमत हैं।

गहलोत ने स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण मीटिंग में वक्तव्य दिया है कि, उनके आदमी भ्रष्ट नहीं हैं और 10 करोड़ या इससे अधिक पैसे से कोई उन्हें खरीद नहीं सकता। उन्होंने मोदी और शाह पर हमला किया, लेकिन, स्पष्ट रुप से उनका लक्ष्य सचिन पायलट थे।

गहलोत अपने विश्वासपात्रों से कह रहे हैं कि, वो चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। गत पांच वर्षों की अपनी विफलताओं और गल्तियों से बचने के लिए गहलोत का सत्ता में रहना जरुरी है। क्योंकि पहले ही उनकी उत्तराधिकारी के रुप में वसुंधरा ने उन्हें बचा लिया था और फिर गहलोत ने वसुंधरा को।

लेकिन अब क्या होगा? यदि गहलोत चुनाव नहीं जीते और यदि वसुंधरा के पास समुचित संख्या नहीं हुई तो गहलोत को संकट से बाहर कौन निकालेगा। दोनों नेताओं के लिए यह आर या पार की लड़ाई है, और दोनों ही नेताओं को उनकी पार्टियाँ दरकिनार कर रही हैं और जहाँ तक उनके समर्थकों का सवाल है, अधिकतर जीत से दूर हैं।

भाजपा में मोदी-शाह द्वय वसुंधरा के साथ सुलह के लिए इच्छुक नहीं हैं और कांग्रेस में राहुल गाँधी ने अशोक गहलोत के खिलाफ रण भेरी बजा दी है।

प्र.मंत्री मोदी के राज में भारत की विदेश नीति पूरी तरह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दुर्भाग्य से मोदी के पास न तो नेहरू जैसी तीक्ष्ण बुद्धि है, न वैश्विक मामलों का गहन अध्ययन है जिससे भारत की विदेश नीति को तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। जयशंकर एक योग्य व्यक्ति हैं जो मोदी की कमियों को ढांपते रहते हैं।

इस भूमिका में मोदी अब तक 74 विदेश यात्राओं पर जा चुके हैं और नवीनतम हैं 5-7 सितंबर तक इंडोनेशिया और 25 अगस्त को यूनान। मजे की बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अपने कार्यकालों में मिलाकर 74 बार ही विदेश गए थे।

सिंह ने अपने 3567 दिन के कार्यकाल में 313 दिन विदेशों में बिताए। 15 अक्टूबर 2023 तक मोदी ने 3429 दिन पद धारण किया है जिसमें से 281 दिन विदेशों में बिताए। लेकिन 2020, 2021 और 2022 के कुछ माह करोना महामारी वाले शामिल किए जाते हैं, जो नहीं होते तो मोदी सिंह से बहुत आगे होते।

विदेश यात्राओं के अलावा जो चीज मोदी की विदेश नीति को उनके सभी पूर्ववर्तियों से अलग करती है वह है देश की विदेश नीति को गुटनिरपेक्षता से गुटबंदी में बदल गई। किसी भी संप्रभु देश की विदेश नीति सत्तारूढ़ पार्टी की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की होती है क्योंकि लोकतंत्र में पार्टियां तो आती-जाती रहती है जबकि विदेश संबंध राष्ट्र के हितों पर निर्भर करते हैं।

वर्ष 2014 से पूर्व की सभी सरकारों ने किसी महत्वपूर्ण या जटिल-अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे या वैश्विक संकट पर विपक्ष को विश्वास में लिया। पिछले साढ़े नौ वर्षों में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जिसमें भाजपा नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने विदेश-नीति के किसी भी मुद्दे पर विपक्ष के नेताओ को विश्वास में लिया हो। इतना ही नहीं मोदी ने विदेशी यात्राओं पर संसद में बयान देने वाली एक सुस्थापित परम्परा को भी भंग कर दिया है।

वर्तमान विदेश नीति का एक अन्य नया फीचर है ''मस्क्यूलर डिप्लोमैसी'' जो सरल अर्थों में विदेशी नेताओं के बारे में हमारी एजेन्सियों द्वारा एकत्र गुप्त एवं वैचारिक सूचना, खासतौर पर दबाव डालने के लिए निकट पड़ोसी देशों की सूचना का उपयोग करना है। मोदी सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार देश की विदेश नीति, खासतौर पर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के बारे में विदेश नीति की संरचना बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मस्क्यूलर डिप्लोमैसी कई शताब्दियों से ऐतिहासिक रूप से प्रचलन में रही है, लेकिन इसका प्रयोग उन शक्तिशाली देशों द्वारा किया गया है जिनका आर्थिक और सैन्य कद बड़ा है। अमेरिका, यू.के. और सोवियत यूनियन जैसी सुपरपावर्स ने इसका इस्तेमाल अन्य देशों को अपना आदेश मनवाने के लिए किया। जिस देश का आर्थिक और सैन्य कद बड़ा है, उसके लिए भी भारत द्वारा शक्तिशाली ग्रुप का प्रयोग करना कुछ बेमेल लगता है।

पूर्व की विदेश नीति से अलग हटने का कारण कुछ या किसी एक बिज़नैसमैन के हितों को बढ़ाने के लिए देश की विदेश नीति संरचना का इस्तेमाल करना है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक विदेश दौरों में देश के कारोबारी प्रमुखों को ले जाना वर्तमान सरकार की एक सामान्य प्रथा बन गई है। मीडिया में कुछ ऐसे घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग होती आयी है जिनमें देश के विदेशी अभियानों के अन्तर्गत किसी विशेष बिज़नैस ग्रुप या अन्य के पक्ष में लॉबिंग की गई हो।

राष्ट्रीय हित के बजाए राजनीतिक और पक्षपाती एजेण्डा का अनुसरण एक अन्य फीचर है जो मोदी की विदेश नीति को उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में अलग करता है। मोदी ने पूर्व की नीति को छोड़कर विदेशी भूमि का उपयोग अपनी घरेलू विपक्षी पार्टियों, खासतौर पर कांग्रेस का निरुत्साहित और बदनाम करने के लिए शुरु किया। वर्ष 1947 में देश के आज़ादी प्राप्त करने के बाद कई वर्षों में जाकर यह सर्वानुमति बनी थी कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच की घरेलू प्रतिद्वंदिता का उल्लेख विदेशी भूमि पर नहीं किया जाएगा। इस नीति को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब सभी नेता एक जैसा करते हैं।

मोदी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी विदेशी राष्ट्र के निवर्तमान प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुनाव प्रचार में इतना खुलकर कभी अपना समर्थन नहीं किया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों को एक सभा में उनसे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के समर्थन का आव्हान कर विदेश नीति के उक्त आधारभूत सिद्धांत को त्याग दिया। इसी प्रकार मार्च 2021 की अपनी बांग्लादेश यात्रा का इस्तेमाल मोदी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की चुनावी संभावनाओं को सुधारने के लिए किया

मतुआ दलित वोटर्स को भाजपा की ओर आकर्षित करने के लिए मोदी ने गोपालगंज के ओराकांडी स्थित उनके मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उनके समुदाय के कुछ नेताओं से बात की थी। अपनी राजनीतिक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कूटनीति का यह अपेक्षाकृत एक दुर्लभ इस्तेमाल था।

संक्षेप में, देश की विदेश नीति का उपयोग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को साधने के बजाए राजनीतिक बढ़त प्राप्त करने के लिए किया गया है, जबकि प्रमुख राष्ट्रीय हितों पर काम करना विदेश नीति का एक मूलभूत सिद्धांत है।

कमलनाथ ने ''सैल्फ गोल''...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कटवाने के लिए ये दोनों ही जिम्मेवार हैं। जयवर्धन सिंह मध्यप्रदेश के विधायक हैं और दिग्विजय सिंह के पुत्र है। कमलनाथ की पूर्ववर्ती सरकार में वे मंत्री थे।

चुनाव पूर्व हुए कई सर्वेक्षणों में कांग्रेस को 17 नवम्बर को होने वाले चुनावों में काफी आगे बताया गया है। पूर्व के मुकाबले इस बार कांग्रेस एकजुट नज़र आ रही है। हालांकि शिवपुरी में नाथ का बयान यह संकेत देता है कि पार्टी में गुटबाजी व अर्न्तकलह बदस्तूर जारी है। यह बयान चुनाव के बाद सके योजना का संकेत भी है। हालांकि आज नाथ ने सफाई दी कि उनके व दिग्विजय सिंह के बीच सब ठीक है। पर नुकसान पहले ही हो चुका है। कमलनाथ अपने विवादास्पद एवं स्पष्टवादी बयानों के लिए जाने जाते हैं।

कुछ दिन पहले वे एक पुलिसकर्मी को धमकाते सुने गए थे कि ''अच्छा हिसाब लिया जाएगा।'' उन्होंने भाजपा पर भी तब तीखा हमला बोला जब भाजपा ने उनकी धार्मिक आस्था पर सवाल उठाया था। नाथ ने कहा था कि भाजपा को उनके नाम का जाप करना बंद कर देना चाहिए। नाथ ने इस नवीनतम बयान संभवतया यह जताने के लिए दिया है कि कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है और अब तो उनका मुख्यमंत्री बनना औपचारिकता मात्र रह गया है। मध्यप्रदेश के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हालांकि कांग्रेस रेस में आगे है पर कभी कभी होठों तक आते-आते प्याला टूट जाता है। अगर यह बात फैली कि कमलनाथ व दिग्विजय सिंह में राजनैतिक खींचतान है तो पार्टी जीती बाजी भी हार सकती है।

नाथ के बयान से मध्यप्रदेश में बहस छिड़ गई है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने मामले को हल्का करने की कोशिश की ओर ट्वीट किया, ''जब परिवार बड़ा होता है तो खुशिया भी सामुहिक होती हैं और मतभेद भी। समझदारी इसी में है कि वरिष्ठ नेता धैर्य रखकर मतभेद दूर करें भगवान भी उनकी मदद करते है जो पूरे मन से परिश्रम करते हैं।''

JAIPUR: SECTOR-35,PRATAP NAGER,TONK ROAD,JAIPUR, SANGA AUTONATION PVT LTD.: 9057809180, 7734909000, 7734901000 | PADMAWATI COLONY- II, OPPOSITE METRO PILLAR NO 25, MANSAROVER METRO STATION JAIPUR, VIPUL MOTORS PVT. LTD.: 7610868590, 9509157505, 9887512958 | E-101, ROAD NO. 8, VKIA AREA, JAIPUR, PREM MOTORS: 8058794068, 8058791634, 8058794091 | E-197(A), RIICO INDUSTRIAL AREA, MANSAROVAR, JAIPUR, KP AUTOMOTIVES: 9549651296 | B 1 GOVIND MARG, RAJAPARK OPP. PINK SQUARE MALL, KP AUTOMOTIVE: 9549651785 | A-209, RAJENDRA PRASAD NAGAR, 200FT BYPASS, AJMER ROAD, JAIPUR, SATNAM MOTOCORP: 7413900007, 7413900009, 7821823626 | 13 JHOTWARA INDUSTRIAL AREA, NEAR JHOTWARA POLICE STATION, JAIPUR, KTL: 7412068475, 9209056789.

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908